

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला- होशंगाबाद (म.प्र.)

(फोन- 07574-253655, E-mail- dcourthos-mp@nic.in)

परिपत्र

क्रमांक 1728 / दो-1-8 / 19

होशंगाबाद दिनांक 12.12.2020

प्रति,

- (1) समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण, जिला होशंगाबाद
- (2) समस्त अनुभाग, प्रभारी अधिकारीगण, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)
- (3) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद (म.प्र.)
- (4) प्रस्तुतकार, जिला न्यायाधीश होशंगाबाद (म.प्र.)

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिनस्थ न्यायालयों में नियमित सीमित भौतिक सुनवाई (Regular Limited Physical Hearing) किये जाने के संबंध में जारी दिशा निर्देश।

संदर्भ:- माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का परिपत्र क्रमांक ए/3120 जबलपुर दिनांक 11.12.2020

—00—

उपरोक्त विषयानुसार माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा संदर्भित परिपत्र के माध्यम से दिनांक 14.12.2020 से दिनांक 09.01.2021 की अवधि में निम्नलिखित प्रकृति के मामलों में नियमित (प्रतिदिन) सीमित भौतिक सुनवाई (Regular Limited Physical Hearing) किये जाने के निर्देश दिये गये हैं—

1. रिमाण्ड, जमानत एवं सुपुर्दगीनामा के मामले।
2. अपील एवं पुनरीक्षण (सिविल एवं क्रिमिनल)
3. विचाराधीन बंदियों के मामले।
4. पाँच वर्षों से अधिक अवधि से लंबित सिविल एवं क्रिमिनल मामले।
5. मोटर दुर्घटना दावा के प्रकरण।
6. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जमा राशि के भुगतान संबंधी मामले।
7. धारा 125 से 128 दं.प्र.सं. से संबंधित मामले।
8. जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड से संबंधित मामले।
9. दत्तकग्रहण से संबंधित मामले।
10. ऐसे मामले जिनमें समझौता पेश किया जा चुका हो।
11. ऐसे सिविल एवं आपराधिक मामले जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समयावधि में निराकरण के निर्देश दिये गये हों।
12. ऐसे अत्यावश्यक प्रकृति के सिविल एवं आपराधिक मामले जिनमें न्यायालय यह पाता है कि उनमें अर्जेंट सुनवाई की आवश्यकता है।

उपरोक्त प्रकृति के मामलों की सुनवाई किये जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिनका प्रत्येक न्यायालय द्वारा पालन किया जाए:-

1. उपरोक्त दर्शाये गये सिविल मामलों में साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के लिए पक्षकार मुख्य परीक्षण का कथन शपथ पत्र के माध्यम से पेश करेंगे एवं साक्षियों का प्रतिपरीक्षण सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार कमीशन के माध्यम से कराया जाएगा। न्यायालय समुचित मामले में अपने समक्ष भी प्रतिपरीक्षण कर सकता है।
2. भौतिक सुनवाई के अतिरिक्त वीडियो कान्फ्रेंसिंग अथवा सुविधाजनक तरीके से भी मामलों की सुनवाई इस अवधि में जारी रहेगी।
3. पक्षकारों, गवाहों एवं अधिवक्तागण की उपस्थिति न्यायालय की फाईल की आदेश पत्रावलि में दर्ज की जाएगी, परन्तु आगामी आदेश तक उनके हस्ताक्षर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नहीं लिये जाएंगे।
4. जिला मुख्यालय एवं तहसील न्यायालयों में न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, पक्षकारगण एवं स्टाफ के प्रवेश एवं निर्गम हेतु ऐसे एहतियाती उपाय किये जाएं जिससे न्यायालय परिसर एवं न्यायालय कक्षों में अनावश्यक भीड़ एकत्रित न हो सके।
5. ऐसे न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, पक्षकारगण एवं स्टाफ के सदस्य जो क्वारंटीन अथवा आईसोलेटेड हों उनका प्रवेश न्यायालय परिसर पूर्णतः वर्जित रहेगा।
6. ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू का सेवन किया गया हो उनका प्रवेश भी न्यायालय परिसर में पूर्णतः वर्जित रहेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी कृत्य में लिप्त पाया जाता है तो वह केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रावधानित विधि/गाईडलाईन के अंतर्गत अभियोजन/दण्ड का उत्तरदायी होगा।
7. सभी प्रवेश द्वार जहाँ से न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, पक्षकारगण एवं स्टाफ के सदस्य प्रवेश करते हैं वहाँ पर उनकी थर्मल स्कैनर से स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाए।
8. कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे बुखार अथवा सर्दी-जुखाम जैसे लक्षण हों उसे न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि स्टाफ का कोई सदस्य बुखार अथवा सर्दी-जुखाम जैसे लक्षणों से ग्रसित हो उसे तत्काल इस बात की सूचना अपने पीठासीन अधिकारी/जिला न्यायाधीश को देनी होगी।
9. यदि किसी अधिवक्ता को बुखार अथवा सर्दी जुखाम के लक्षण हों तो वह तुरंत इसकी जानकारी संबंधित अधिवक्ता संघ एवं जिला न्यायाधीश को देगा।
10. केवल ऐसे पक्षकारगण तथा उनके अधिवक्तागण को ही न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी जिनके मामले सुनवाई हेतु नियत हों, इस हेतु न्यायालय परिसर के प्रवेश द्वार पर पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था की जाए, जो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उन्हीं अधिवक्तागण/पक्षकारगण को प्रवेश दिया जाए, जिनके मामले उस दिन सुनवाई हेतु नियत हों।
11. कैटीन एवं फोटोकॉपी की दुकानें बंद रहेंगी। अध्यक्ष बार एसोसिएशन इस

बात को सुनिश्चित करेंगे कि बार रूम में सीमित संख्या में प्रवेश दिया जाए एवं भीड़ एकत्रित न हो।

12. न्यायालय परिसर का समुचित सैनेटाईजेशन कराया जाए एवं मुख्य प्रवेश द्वार, शौचालय तथा न्यायालय के बरामदों में हैण्डवॉश एवं सैनेटाईजर की व्यवस्था की जाए एवं यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय कक्ष/न्यायालय परिसर में हाथ धोए अथवा हाथों को सैनेटाईज किये बगैर प्रवेश न कर सके।

13. न्यायालय परिसर एवं न्यायालय कक्षों में सभी न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, पक्षकारगण, स्टाफ के सदस्यों एवं अन्य संबंधितों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन किया जावे।

14. न्यायालय कक्ष में केवल उन्हीं अधिवक्तागण/पक्षकारगण जिनके मामले की सुनवाई हेतु पुकार लगायी गयी हो, उन्हें ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अन्य अधिवक्तागण न्यायालय कक्ष के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए अपनी बारी का इंतजार करेंगे।


15. जानकारी एवं सुविधा के लिए न्यायालय परिसर के डिस्प्ले बोर्ड कार्यरत रखे जाएं।

16. अधिवक्तागण अपनी स्वयं की केस फाईल लेकर आएंगे एवं जैसे ही मामले की सुनवाई समाप्त हो वे तत्काल न्यायालय कक्ष को छोड़ देंगे।

17. उपरोक्त दिशा-निर्देशों का परिपालन पूर्व परिपत्र क्रमांक 1509 दिनांक 17.11.2020 में गठित की गयी कमेटी के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

18. केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाए।

संलग्न—माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर
का परिपत्र क्रमांक ए/3120 जबलपुर
दिनांक 11.12.2020


(चन्द्रेश कुमार खरे)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक 1729/दो-1-8/19

होशंगाबाद दिनांक 12.12.2020

प्रतिलिपि,

(1) रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) अध्यक्ष/सचिव, अभिभाषक संघ, होशंगाबाद/इटारसी/पिपरिया/सोहागपुर/सिवनीमालवा, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

(3) जिला दण्डाधिकारी होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(4) पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(5) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होशंगाबाद (म.प्र.)


(6) लोक अभियोजक होशंगाबाद (म.प्र.)

(7) जिला अभियोजन अधिकारी होशंगाबाद, (म.प्र.)

(8) जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(9) प्रशासनिक अधिकारी/जिला नाजिर होशंगाबाद की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(10) सिस्टम ऑफीसर होशंगाबाद की ओर भेजकर निर्देश है कि समस्त संबंधितों को ई-मेल/व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करें एवं परिपत्र की प्रति होशंगाबाद जिले की वेबसाईट पर अपलोड करें।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद(म.प्र.)

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

// CIRCULAR //

No. A/3120 /

Jabalpur dated 11/12/2020

The High Court of M.P. has been pleased to issue directions to start regular limited physical functioning in the Subordinate Courts including Family Courts with regard to following categories of cases, w.e.f. 14.12.2020 till 09.01.2021 :-


- [1. Remand, Bail and Supurdginama matters.
2. Appeal and Revision (Both Civil & Criminal).
3. Matters relating to under trial prisoners.
4. Cases pending for more than 05 years (Both Civil & Criminal)
5. Motor Accidents Claims Cases. ✓
6. Matters relating to payment of amount deposited in respect of Motor Accident Claim Cases.
7. Matters under Section 125 to 128 of the Cr.P.C.
8. Matter related to Juvenile Justice Board.
9. Matter related to Adoption Cases.
10. Cases in which comprise has been filed.
11. Matters directed to be disposed of within time limit by the Supreme Court or the High Court (Both Civil & Criminal).
12. Other extreme urgent nature of Civil & Criminal matters, which are found to be heard on urgent basis by the court.]

The number of cases in each court of the district shall be at the discretion of the concerned District & Sessions Judge.

- ✓ (i) For recording of evidence in abovementioned civil cases, the parties shall tender their examination-in-chief by way of affidavit, whereas cross-examinations of witness(s) should be done through commission, as per the provisions of the CPC. Court may take evidence (cross-examination) in appropriate case(s) before it, as per law.
- (ii) In addition to the physical hearing of cases, hearing would also continue through video conferencing or any other convenient mode for the Advocates/litigants.

- (iii) The appearance/attendance of litigants, witnesses or Advocates shall be recorded by the courts in order sheets of the court files whereas their signatures would not be taken to prevent the spread of Corona virus, till further orders.
- (iv) District & Sessions Judges at District Headquarters and outlying stations shall ensure that all precautionary measures for entry and exit of Judicial Officers, Lawyers, Litigants and staff in the court premises are taken and shall take all required steps for limiting the gathering in court premises and in court rooms.
- (v) Judicial Officers, Advocates, litigants and staff who are quarantined/isolated shall be prohibited for entering in the court premises.
- (vi) Persons consuming liquor, pan, gutka or tobacco, spitting inside the court premises shall be strictly prohibited. If any person found involved in any of the aforesaid acts, shall be liable for prosecution/punishment as per the law/guidelines of the Central/State Government.
- (vii) Judicial Officers, Advocates, litigants and staff who appear in the court premises shall wear face mask or face cover. Concerned District Judge and the President of Bar Association shall ensure that nobody will enter/present in the court premises without proper face mask.
- (viii) All the gates for entry of Judicial Officers, advocates, staff and litigants may be equipped with requisite thermal scanners. The staff shall ensure proper screening of the entering persons as per the directions issued by the Central/State Government.
- (ix) Any person having fever and flu or alike symptoms shall not be allowed to enter in the court premises. If any staff member is having fever/flu symptoms, would immediately inform the concerned Presiding Officer/District Judge.
- (x) If any Advocate is having fever/flu symptoms, would immediately inform the concerned Bar Association immediately with intimation to the District Judge.
- (xi) Only such litigant(s) and their counsel shall be permitted to enter the court premises where case(s) is/are notified and listed. The District Judge concerned shall post staff as per requirement, at the entry point of the court campus to ensure the entry into the court premises only of the lawyers and litigants whose cases are posted before the court on a particular day.

- (xii) Canteen, photocopy shops situated within the court premises shall remain closed to prevent crowding. President Bar Association shall ensure limited entry to the Bar Room (s) to prevent crowding.
- (xiii) Proper sanitization of entire premises must be ensured. Hand wash and sanitizers may be provided at Main Gate, Toilets and court corridors to ensure that no person enters in the Court Room/Court Premises without hand wash/hand sanitizer.
- (xiv) It shall be ensured that social distancing is maintained in the court premises or court rooms by all the Judicial Officers, lawyers, litigants, staff and other stake holders.
- (xv) Entry in the court room shall be permitted to those Advocates/litigants whose matter is called out for hearing. Rest of the Advocates shall wait outside the court room or designated area for their turn, maintaining social distancing norms.
- (xvi) The display boards shall be functional for convenience and information.
- (xvii) The Advocates shall carry their own case file and once the matter is over, learned Advocate/litigants shall immediately leave the court room.
- (xviii) A Committee of one Senior Judicial Officer, President of Bar Association or the Advocate nominated by the President of Bar and one senior court staff shall be constituted to supervise and monitor the situation on daily basis to ensure the compliance of these directions.
- (xvix) All the guidelines issued by the Central and State Government from time to time to prevent spread of Covid-19, shall be strictly followed.


(RAJENDRA KUMAR VANI)
REGISTRAR GENERAL
